भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1497**

**31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न**

**स्मार्टपीडीएस**

**1497. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:**

**श्री अरविंद गणपत सावंत:**

**श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:**

**श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्न चोरी रोकने तथा वितरण श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट-पीडीएस) में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब लागू किया गया;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त योजना का हिस्सा बनने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यह योजना खाद्यान्न चोरी रोकने तथा वितरण श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने में किस हद तक सक्षम है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) और (ख):** यह विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर का विकास एवं कार्यान्वयन के लिए एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के जरिए आधुनिकीकरण और सुधार हेतु स्कीम (स्मार्ट पीडीएस)" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके मौजूदा सर्वरों/डाटा केंद्रों को प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

**.....2/-**

उपर्युक्त स्कीम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना करती है, जो एनएफएसए और राज्य स्कीमों को कवर करते हुए संपूर्ण पीडीएस ईकोसिस्टम में प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों और रुपांतरकारी परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाएगी। इस प्रकार आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर, तकनीकी जनशक्ति के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस प्रचालनों की राज्यस्तरीय प्रौद्योगिकी कमियों को दूर करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यों में लाए जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को बनाए रखने और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस से संबंधित सभी प्रचालनों को कवर करते हुए एकीकृत केंद्रीय प्रणाली को संस्थागत बनाने हेतु स्मार्ट-पीडीएस को शुरू किया गया है। यह स्कीम वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए 349.9 करोड़ रुपये की कुल लागत से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है।

**(ग):** विभाग द्वारा उपर्युक्त स्कीम के लिए अब तक 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु को छोड़कर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

**(घ):** इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 99.8 प्रतिशत राशन कार्डों को आधार के साथ जोड़ा गया है। वर्तामान समय में एफपीएस पर ईपीओएस उपकरणों के संस्थापना से इस प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से मासिक आधार पर देश भर में लगभग 98 प्रतिशत लेन-देन किए जा रहे हैं।

स्मार्ट-पीडीएस के अंतर्गत आईसीटी-समर्थित प्रणाली तैयार करके, सार्वजनिक वितरण की प्रभावकारिता, लाभार्थियों तक आसान पहुंच और अधिक पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक सेवाओं के समय पर वितरण में सुधार लाया जा सकता है। इन दृष्टिकोणों (i) गुणवत्तापरक सूचना में सुधार लाना (ii) जटिलताओं को कम करना (iii) पहुंच को अधिक सुविधाजनक और आसान बनाने, से वितरण में सुधार किया गया है।

*****